participation even in basic telecom Services and foreign equity upto 49 per cent.

Holdings of Pepsico and Aradhana Companies

6961. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Pepsico. India Holdings and (i) Aradhana Soft Drinks Company, (ii) Aradhana Snack Foods Company and (iii) Aradhana Fruit and Food Products Company have purchased the shares of Gujarat Bottling Company Limited;

(b) whether Pepsico. India Holdings and/or any of (i) Aradhana Soft Drinks Company, (ii) Aradhana Snack Foods Company and (iii) Aradhana Fruit and Food Products Company have purchased the shares of Ahmedabad Advertising and Marketing Consultants Limited;

(c) what is the relationship between Pepsico. India Holdings and the three Aradhana Companies; and

(d) if the answer to Queries (a) and/or (b) are in the affirmative the amounts paid to each of the shareholders of Gujarat Bottling Company Limited and Ahmedabad Advertising and Marketing Consultants Limited and the dates and mode of such payment, in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बकाया आयकर

6962. **श्री संजय डालमिया :**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की कितनी राशि लोगों पर बकाया है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को 10 लाख रुपये से अधिक का बकाया आयकर अदा करना है ;

(ग) किन-किन व्यक्तियों को एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया आयकर अदा करना है ; और

(घ) सरकार द्वारा इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, आयकर (नियमकर सहित) की 13749 करोड़ रु० की राशि बकाया थी।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार 10400 मामले ऐसे थे जिनकी तरफ 10 लाख रु० तथा इससे अधिक की आयकर की मांग (धनकर सहित) बकाया थी।

(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार 845 नाम ऐसे थे जिनकी तरफ एक करोड़ रु० तथा इससे अधिक की आयकर की मांग (धनकर सहित) बकाया थी। इन नामों की सूची काफी बड़ी हो जाएगी और सूचना एकत्र करने/संकलित करने में जितना समय और श्रम लगेगा इससे प्राप्त परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(घ) बकाया मांग में कमी लाने/उसकी वसूली करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे कम करने के लिए उचित प्रशासनिक, विधिक एवं अन्य उपाय किए जाते हैं। बड़े मामलों में, डोजियर रखे जाते हैं और स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां-कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली की कार्यवाहियों पर स्थगन आदेश दिए जाते हैं वहां स्थगन को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की शीघ्र